न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 39 सन 2018
अनवान :–

1. जगदीश पुत्र मनीराम जाति नाई साकिन ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. शिशपाल 2 रामनिवास 3 ओमप्रकाश 4 सुभाषचन्द पि0 मनीराम जाति नाई साकिन ललानाबास नथ्वानिया तहसील नोहर।
5. सन्तोदेवी 6 विधा 7 सावत्री पि0 रजों पत्नी मनीराम जाति नोई साकिन ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री मागेराम गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 10.1.19

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा नथवानिया के प0न0 78/1 की 1.9640हैक , 83 की 1.1630हैक कुल 3.1270हैक व रोही मोजा चक 13 जीजीएम के प0न0मु0न0 23 के किला न0 18 ,23 ,24 ,25/0.9870 मु0न0 69/13 के किला न0 0/2 की 0.0250हैक गै0मु0 रास्ता कुल 1.0120हैक में वादी व प्रतिवादीगण तथा हमारी माता रजो के नाम से दर्ज 1/6 हिस्सा है

वादी की माता रजो का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी हे वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादी की माता रजो के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 ता 7 की माता रजो के नाम से दर्ज है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की माता रजो का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है जो रिकार्ड से साबित है वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 जो उसकी बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयों के पक्ष में किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती हे तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है। व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास नथवानिया के प0न0 78/1 की 1.9640हैक व प0न0 83 की 1.1630हैक कुल 3.1270हैक में प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी प्रकार रोही मौजा चक 13 जीजीएम के खाता संख्या 63/62 में रजोदेवी व प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 का नाम कलमजन किया जाकर समस्त 1/6 हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10/1/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official